dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय उप वन संरक्षक, चकराता वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक- /18-4 , **दिनांक, कालसी** 29 **दिसम्बर** 2008

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जनपद देहरादून।

विषय– **डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति, देहरादून के पक्ष में टौन्स नदी के प्लोट सं0–2 कालसी ब्लॉक के 25 एकड़ व प्लोट सं0–3 रामपुरमण्डी के यमुना नदी के 28.42 एकड़ क्षेत्र में साधारण बालू, बजरी, बोल्डर आदि के चुगान/खनन हेतु शासन द्वारा 10 वर्ष हेतु पट्टा दिये जाने विषयक।**

सन्दर्भ– 1– दिनांक 21–11–2008 को अपरान्ह 4.00 बजे अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षा में आहुत रिट पिटिशन सं0 800/2005, 678 एवं 679 डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति की बैठक के कार्यवृत्त–उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग की पत्र सं0–3747/दस– 2–2008–15(50)/2008, दिनांक देहरादून 25–11–2008

2– इस कार्यालय की पत्र सं0–1520/18–4, दिनांक 6–12–2008

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा अपनी पत्र सं0 **1500/11सी–62 (दे0दून), दि0 17–12–2008** द्वारा **(जो कि आपको भी पृष्ठांकित है)** एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि धनराशि निर्धारण हेतु निर्देश दिये गये हैं। नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक के पत्र से यह भी स्पष्ट है कि जिस वन क्षेत्र से उक्त संस्था द्वारा उप खनिजों का चुगान किया जाना प्रस्तावित है, उस क्षेत्र के लिए **भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमति की अवधि दिनांक 18–8–2009 को समाप्त हो रही है। अतः संस्था द्वारा इस तिथि के उपरान्त उप खनिजों के चुगान का कार्य भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जा सकता है।**

अतः नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति से निम्न प्रकार धनराशि वसूल की जायेगी –

1– **एन0पी0वी0 की धनराशि** – (मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28–3–2008 एवं 9–5–2008 के अनुसार)

Eco Value Class	Rate per ha. (Open Forest) (Rs.)	Total leased land (ha.)	Total Amount (Rs.)
Class V	657000-00	21-62	**14204340-00**

2– **क्षतिपूरक वृक्षारोपण** – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृति के अनुसार दुगने क्षेत्रफल में स्वीकृत लीज अवधि 10 वर्षो में वृक्षारोपण किया जाना है, क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में लीज अवधि/चरान चुगान अवधि एक वर्ष ही अवशेष है अतः निम्न प्रकार क्षतिपूरक की धनराशि वसूली जायेगी–

कुल क्षेत्रफल जिस हेतु एक वर्ष में धनराशि देय होगी –(21.62 × 2)/ 10 = 4.324 है0

नोडल अधिकारी द्वारा सूचित दर – रू0 60000/– प्रति है0

कुल देय धनराशि – **रू0 259440.00**

प्रदीप 2033

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
फैक्स नं0–01360–275078

3– <u>रीवर ट्रेनिंग आदि कार्यो हेतु धनराशि</u> वास्तविक निकासी के आधार पर उत्तराखण्ड वन विकास निगम की तरह निम्न प्रकार प्रति घ0मी0 वन विभाग द्वारा वसूल की जायेगी, प्रतिबन्ध यह होगा कि यदि उच्चाधिकारियों/शासन द्वारा यदि एक मुश्त धनराशि निर्धारित की जाती है, तो तदानुसार एक मुश्त धनराशि देय होगी–

(धनराशि रू0 प्रति घ0 मी)

क्र0सं0	कार्य मद	रेता	बजरी	पत्थर	दड़ा
1	रीवर ट्रेनिंग	5.00	6.00	8.00	8.00
2	सीमांकन/जलौनी	1.60	0.90	1.44	0.90

मद सं0–1, एन0पी0वी0 तथा मद सं0–2 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि CAMPA हेतु नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय कार्यालय में जमा की जायेगी। कृपया इस मद में जमा हेतु लेखा शीर्षक/एकाउन्ट नं0 नोडल अधिकारी कार्यालय से ज्ञात करने की कृपा की जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति से उपरोक्तानुसार धनराशि वसूल/जमा कराने के उपरान्त **इस कार्यालय की पत्र सं0 –1520/18–4, दिनांक 6–12–2008 द्वारा प्रेषित शर्तो एवं प्रतिबन्धों** को सम्मलित करते हुए (उक्त क्र0सं0–3 सहित) <u>दिनांक 30–6–2009</u> तक डोईवाला सहकारी श्रम संविदा समिति के पक्ष में कार्यादेश निर्गत करना चाहें।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
चकराता वन प्रभाग, कालसी।

संख्या–1645 (1)/ *उक्त दिनांकित।* 23-12-08

प्रतिलिपि :–

1– नोडल अधिकारी/मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर कालोनी, वसन्त बिहार, देहरादून को उनकी पत्र सं0 1500/11सी–62 (दे0दून), दि0 17–12–08 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड की पत्र सं0 1500/11सी–62 (दे0दून), दि0 17–12–08 (जो कि आपको भी पृष्ठांकित है) के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0), देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

23.12

उप वन संरक्षक,
चकराता वन प्रभाग, कालसी।

प्रदीप,2033